


**कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल (म प्र)**

क्रमांक / 106 / स्था. / अराज. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2019 भोपाल दिनांक 28.02.2019

// आदेश //

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से चयनित निम्नलिखित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर वेतनमान लेवल-1, मैट्रिक्स-8, रू. 32800-103600/- एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मॅहगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त कर सरल क्रमांक-3 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-


क्र	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री चिराग पटले, पिता श्री रेवेन्द्र पटले निवासी- एल.आई.जी.-119, न्यू सुभाष नगर, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड देवास
2.	श्री चेतन कुमार, पिता श्री दर्शन लाल भुमरकर निवासी- म.न. 118, इंदिरा नगर, पटाखेडा, वार्ड 21 श्रीमती इंदिरा गॉंधी, सारणी, घोडा डोंगरी, जिला बैतुल (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड होशंगाबाद
3.	श्री प्रदीप कुमार बामनिया पिता श्री हीरालाल बामनिया पता - विद्या नगर, मांगरूल रोड, खरगोन, तहसील व जिला खरगौन (म.प्र.) - 451001	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड नीमच
4.	श्री पंकज कुमार चौधरी पिता श्री गलसिंह चौधरी पता 46, प्रशांति एवेन्यु, इन्दौर रोड, जिला उज्जैन (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड मंदसौर
5.	श्री मानवेन्द्र सिंह चौहान पिता माधवसिंह चौहान निवासी - द्वारकापुरी कालोनी, (नूतन नगर), तहसील व जिला खरगौन (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड हरदा

  
28/2/19

क्र	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
6.	श्री कृष्णचंद्र सोलंकी पिता श्री कालूसिंह सोलंकी पता- काटकुट, (लाईनपुरा), पोस्ट काटकुट, तहसील बडवाह, जिला खरगोन (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड बडवानी
7.	श्री आदित्य सर्वे पिता श्री सुरेश सर्वे पता- ग्राम बाम्हनवाडा, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सिंगरौली
8.	सुश्री पिन्की चौहान पिता श्री सुखलाल चौहान निवासी- सी-43, नेशनल कालोनी, लेबड, धार (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड खरगोन
9.	श्री दुष्यन्त कुमार रांहगडाले पिता श्री कामताप्रसाद रांहगडाले पता- 201, लालपुर, पोस्ट धराना, ब्लॉक बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.) 480667	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड रीवा
10.	श्री पंकज कुमार साहु पिता श्रीराम लखन साहु पता- 182/ के ग्राम गजरा बहरा, थाना सरई, पोस्ट जमगडी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) 486888	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड उमरिया
11.	श्री प्रस्तीवा राय पिता श्री राजकुमार राय पता- 2/9 सदर बाजार, मिश्रा गली, जिला सागर (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड गुना


यह नियुक्तियाँ निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- (1) उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार रहेगी, जो पृथक से निर्धारित की जाएगी
- (2) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- (3) उक्त नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा पर होगी, अभ्यर्थी को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा। उसे इस समय में विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होंगी।



- (4) उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे ।
- (5) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है । यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी ।
- (6) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
- (7) चयनित प्रत्याशी को दिनांक 11.03.2019 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उसकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
- (8) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला / संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षा संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा ।
- (9) चयनित प्रत्याशी की पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- (10) यह नियुक्ति म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2005 के अधीन रहेगी ।
- (11) कार्यभार ग्रहण करते समय, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करें ।


इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धार 6 (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

  
 28.2.19  
 (के.के.सोनगरिया)  
 प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक / 1972 / स्था. / अराज. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2019 भोपाल दिनांक 28.02.2019  
 प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. निज सहायक प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वि./यां. परिक्षेत्र, भोपाल ।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

7. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .....मध्यप्रदेश ।
8. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके.खण्ड.....म.प्र. ।  
पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति के समय भी अर्हता एवं जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच कराकर ही उपस्थिति स्वीकार करे ।
9. प्रभारी, स्थापना जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभागीय चिकित्सा बोर्ड ..... ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके.उपखण्ड.....म.प्र. ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश नस्ती ।

  
प्रमुख अभियंता